

Case No.124 /2016

Filling no,234503005552014

न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

व्य0वादप्रक0 क्र0-124ए / 2016

संस्थित दिनांक 21.11.2008

ओमकारपुरी उम्र-38 साल आत्मज स्व0 भैरवपुरी, जाति गोस्वामी,
व्यवसाय कृषि एवं नौकरी, निवासी लिंगा वर्तमान सरेखा तहसील
बैहर जिला बालाघाट (म0प0)।

.....वादी।

विरुद्ध

- 1.शिवचंद उम्र लगभग 42 साल, पिता जीवनलाल,
- 2.मुकेश उर्फ पप्पु उम्र लगभग 35 साल पिता रोशनलाल,
- 3.तरुण उर्फ किन्ना उम्र लगभग 31 साल पिता रोशनलाल,
- 4.देवेन्द्र उर्फ छोटू उम्र लगभग 25 साल पिता रोशनलाल,
- 5.सोमेश्वर उम्र लगभग 25 साल पिता शिवचंद, सभी जाति पंवार,
सभी निवासी ग्राम ठेमा तहसील बैहर जिला बालाघाट।
- 6.म0प्र0 शासन, पदेन सचिव कलेक्टर बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण।

—:: निर्णय ::—

—:: दिनांक 26.11.2016 को घोषित ::—

1. यह वाद वादग्रस्त संपत्ति मौजा ग्राम ठेमा, प.ह.न. 08 रा.नि.मं.
परसवाड़ा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 223/2 रकबा 2.50
एकड़ भूमि के विषय में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न किये जाने
के लिये स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में स्वीकृत है कि वादी मूलतः ग्राम लिंगा का निवासी है और
वर्तमान में ग्राम सरेखा में निवास करता है। वादी द्वारा उल्लेखित विवादित भूमि
की चतुरसीमा स्वीकार की गई है। यह भी स्वीकृत है कि फौती दाखिला के आधार
पर विवादित भूमि वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई थी।
3. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मूलतः ग्राम लिंगा का निवासी
है जबकि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम ठेमा में स्थित है। दावा प्रस्तुत करते
समय वादी ग्राम सरेखा में निवास करता था। प्रतिवादीगण एक ही परिवार के

सदस्य है और आपस में सगे रिश्तेदार है। वादग्रस्त भूमि की चतुरसीमा इस प्रकार है कि पूर्व में चैतराम उर्फ मुन्ना की भूमि, पश्चिम में कपूरचंद की भूमि, उत्तर में झनक सुनार की भूमि तथा दक्षिण में रामाजी की भूमि एवं शासकीय भूमि स्थित है। यह भूमि वादी के पिता की स्व-अर्जित संपत्ति थी और वादी के पिता की वर्ष 2008 में मृत्यु हो जाने के पश्चात वादी का नाम संशोधन फौती दाखिला के आधार पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। वादी जून-जुलाई 2008 में वादग्रस्त भूमि पर आया तो उसने देखा कि उसके द्वारा बोई गई धान की फसल काट ली गई है और पड़ौसियों से इस संबंध में जानकारी ली गई तो पता चला कि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 के द्वारा वादी के स्वत्व की धान की फसल काट ली गई। वादी ने उपरोक्त विषय में पुलिस थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा स्थगन आदेश एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। वादी ग्राम ठेमा में नहीं रहता, इस बात का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा कर लेने की आशंका है। ऐसी स्थिति में वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य में हस्तक्षेप न करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।

4. स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 ने अपने जवाबदावे में यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि को वादी के पिता ने क्रय किया था परन्तु वर्ष 1976 से यह भूमि जीवनलाल के कब्जे में चली आ रही है और प्रतिवादीगण ही इस भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। वादी का पिता ग्राम लिंगा में निवास करता था। वादग्रस्त भूमि ग्राम ठेमा में स्थित है इसलिये वादी के पिता ने इस भूमि को विक्रय करने का प्रस्ताव देवरलाल उर्फ रोशनलाल के पिता जीवनलाल के समक्ष रखा, क्योंकि रोशनलाल ही परिवार सहित वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा था। रोशनलाल के स्वामित्व की भूमि वादग्रस्त भूमि से लगकर है और उस भूमि पर आने-जाने के लिये वादग्रस्त भूमि से ही आना-जाना होता था। उपरोक्त स्थिति को देखते हुये वादी के पिता ने दिनांक 13.05.1991 को वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का सौदा गवाह मोतीराम पटले एवं भागचंद सोनी के समक्ष 7,500/- रुपये में किया था और 7,500/- रुपये वादी ने प्राप्त कर लिये थे तथा शेष राशि 500/- रुपये रजिस्ट्री के समय प्राप्त कर रजिस्ट्री करने का अनुबंध कर इकरारनामा दिनांक 13.05.1991 को निष्पादित किया था। वादी के

पिता तथा वादी ने वर्ष 1976 से वर्तमान समय तक कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया और यह कार्य लगातार प्रतिवादीगण द्वारा किया जाता रहा है। वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि की विक्रय राशि 7,500/- रुपये प्राप्त कर ली थी और वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री प्रतिवादीगण के पक्ष में न होने से एवं वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि फौती दाखिला के आधार पर वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करा ली।

5. वादग्रस्त भूमि को 10,000/-रुपये में विक्रय करने का सौदा वादी के पिता ने किया था और पंचों के समक्ष वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया था। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का पंजीयन करने को तैयार थे किन्तु वादी ने बिना उन्हें सूचना दिये दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। प्रतिवादीगण ने विगत 30-35 वर्षों से वादग्रस्त भूमि को मिट्टी डालकर उसे कृषि योग्य बनाया है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर ही आश्रित है जबकि वादी शासकीय सेवक है और ग्राम सरेखा में निवास करता है। प्रतिवादीगण ही वादग्रस्त भूमि के वास्तविक आधिपत्यधारी है, मात्र उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। मृतक भैरवपुरी के बड़े पुत्र रामपुरी गोस्वामी ने उपरोक्त सौदे की राशि में से 2000/- रुपये नगद प्राप्त कर स्टाम्प पत्र के पृष्ठ भाग पर पावती दी थी। प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से वादी ने यह दावा प्रस्तुत किया है जिसे निरस्त किया जावे।

6. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी विवादित भूमि खसरा नंबर 223/02 रकबा 2.50 एकड़, प.ह.नं.08 स्थित मौजा टेमा, रा.नि.मं. परसवाड़ा तहसील बैहर जिला बालाघाट का वैध आधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित
2	क्या वादी के वैध आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 अनुचित एवं अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं ?	प्रमाणित
3	क्या वाद उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया ?	अप्रमाणित
4	सहायता एवं खर्च ?	निर्णय की कंडिका 15 के अनुसार

--	--	--

वादप्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष:-

नोट:-इस वादप्रश्न का संबंध विधि पर आधारित होने से इस वादप्रश्न का निराकरण सर्वप्रथम किया जा रहा है।

7. वादी द्वारा अपने दावे का मूल्यांकन वाद पत्र की कंडिका क्रमांक 14 में किया गया है। वादी द्वारा यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु मूल्यांकन 2,000/-रुपये किया गया है और इस पर निर्धारित 200/-रुपये का न्याय शुल्क चस्पा किया गया है। वादी ने वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का आधिपत्य होने का अभिवचन किया है, इसलिये न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 7(iv)डी के अनुसार वादी अपने वाद का मूल्यांकन करने के लिये स्वतंत्र है और उसके द्वारा न्यायशुल्क 200/-रुपये चस्पा किया गया है। अनुसूचि-1 (मूल्य अनुसार) तत्कालीन समय में देय न्यायशुल्क 12 प्रतिशत होने से विधि अनुसार वादी द्वारा चस्पा की गई 200/- रुपये राशि उचित नहीं है। वादी को 12 प्रतिशत के मान से कुल 240/- रुपये न्यायशुल्क चस्पा करना चाहिये था। अतः वादप्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष:-

8. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी ओमकारपुरी वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में यह कहा है कि वादग्रस्त संपत्ति उसके पिता स्व० भैरवपुरी की स्व-अर्जित संपत्ति थी और क्रय करने के पश्चात से उसके पिता इस भूमि पर अधिया-काश्त कराते थे। उसके पिता की मृत्यु वर्ष 2008 में हो गई। इसके पश्चात उसने ग्राम पंचायत में फौती दाखिला के आधार पर उसका नाम इंद्राज कराने के लिये आवेदन पत्र दिया और संशोधन क्रमांक 12 दिनांक 12.02.2008 को दर्ज होकर दिनांक 14.03.2008 को उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। इस संबंध में संशोधन पंजी की नकल वादी ने प्र.पी.01 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार खसरा क्रमांक 223/2 रकबा 2.50 एकड़ भूमि पर वादी ओमकारपुरी का नाम दर्ज किया जाना दर्शित है। प्र.पी.01 दस्तावेज के कॉलम नंबर 07 में इस बात का उल्लेख है कि "विरासतन हक से भैरवपुरी वल्द गोबरधनपुरी निवासी लिंगा फौत हो चुका है काबिज वारसान पुत्र ओमकारपुरी का नाम दर्ज शेष पुत्र लिखित सहमति 100/- (स्टाम्प पेपर) के अनुसार नाम दर्ज नहीं"। वादग्रस्त भूमि का नक्शा

प्र.पी.02 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। किशतबंदी खतौनी फार्म बी-1 वर्ष 2008-09 प्र.पी.03 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है जिसमें वादी ओमकारपुरी वल्द भैरवपुरी के नाम पर खसरा नंबर 223/2 रकबा 1.011 हे0 भूमि दर्ज होना दर्शित है। खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2008-09 प्र.पी.04 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। वादी के नाम पर वादग्रस्त भूमि की ऋण-पुस्तिका भी बनाई गई थी, इसे सिद्ध करने के लिये ऋण-पुस्तिका क्रमांक 034340 प्र.पी.05 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। वादी ओमकारपुरी वा.सा.01 के कथनों का समर्थन वादी साक्षी चैतराम वा.सा.02 ने किया है और कहा है कि वादी के पिता भैरवपुरी की मृत्यु के बाद से ओमकारपुरी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर ट्रैक्टर किराये से लेकर मजदूरों के द्वारा खेती का कार्य किया जाता रहा है। साक्षी का यह भी कहना है कि मौके पर ओमकारपुरी रहता है तो प्रतिवादीगण विवाद नहीं करते हैं और उसके जाने के बाद वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। वादी ओमकारपुरी वा. सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह ग्राम सरेखा में निवास करता है तथा ग्राम लिंगा की दूरी ग्राम टेमा से लगभग 08 कि.मी. है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पिता भैरवपुरी वादग्रस्त भूमि पर स्वयं खेती नहीं करते थे और यह स्वीकार किया है कि अधिया-ठेके पर दिया करते थे। उसके पिता स्व0 भैरवपुरी ने वादग्रस्त भूमि को रोशनलाल तथा जीवनलाल को अधिया-ठेके पर दिया था। प्रतिवादी पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने वादग्रस्त भूमि को अधिया कृषि के लिये दिया था।

09. वादी ओमकारपुरी वा.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि वर्ष 1991 में उसके पिता ने वादग्रस्त भूमि देवरलाल पिता जीवनलाल को विक्रय कर दी थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके पिता ने वादग्रस्त भूमि के विषय में 7,500/- रुपये देवरलाल से प्राप्त किये थे या नहीं इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने कहा है कि इकरारनामा निष्पादित होने के बाद देवरलाल को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिया गया था या नहीं उसकी उसे जानकारी नहीं है। प्रतिवादी पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि लगभग 20-22 वर्षों से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी शिवचंद एवं उसके परिवारवालों का कब्जा चला आ रहा है। साक्षी ने इस बात की जानकारी न होना भी कहा है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण द्वारा कय कर ली गई है इस संबंध में गांव वालों के समक्ष दिनांक 23/10/2008 को एक पंचनामा तैयार किया गया था। वादी साक्षी चैतराम वा.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वर्ष 1975 से वर्ष 2004 तक प्रतिवादीगण द्वारा खेती की गई थी, परन्तु पिछले तीन-चार वर्षों से वादी ओमकारपुरी वादग्रस्त भूमि पर खेती कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह

भी कहा है कि उसके बयान देने के पिछले वर्ष की फसल वादी ओमकारपुरी ने काटी थी।

10. प्रतिवादी साक्षी शिवचंद प्र.सा.01 का कहना है कि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता की भूमि थी जो ग्राम लिंगा में निवास करते थे और ग्राम लिंगा से ग्राम ठेमा की दूरी लगभग 7-8 कि.मी. थी। स्व0 भैरवपुरी ने वादग्रस्त भूमि पर दो-तीन बार खेती की और असुविधा होने से उसने प्रतिवादीगण के परिवारवालों को यह जमीन खेती के लिये दे दी। लगभग 5-7 साल तक प्रतिवादीगण का परिवार अधिया में वादग्रस्त भूमि पर कृषि करता रहा। इसके बाद भैरवपुरी ने प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 के पिता रोशनलाल उर्फ देवरलाल को इस भूमि को विक्रय करने का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1991 में स्व0 भैरवपुरी ने 10,000/- रुपये में वादग्रस्त भूमि का सौदा किया और इस बात की लिखा-पढ़ी भी स्टाम्प पर हुई थी। सौदे के अनुसार 7,500/- रुपये गवाहों के समक्ष स्व0 भैरवपुरी ने प्राप्त किये थे और बाकी के पैसे रजिस्ट्री के समय दिया जाना तय हुआ था, परन्तु भैरवपुरी का स्वास्थ्य खराब हो जाने से वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो पाई, परन्तु वर्ष 1991 से प्रतिवादीगण के परिवार का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर लगातार चला आ रहा है।

11. वादी ओमकारपुरी ने चोरी छिपे वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरण करा लिया है, जबकि उसे वादग्रस्त भूमि के विक्रय की पूर्ण जानकारी थी। भैरवपुरी के जीवनकाल में भी भैरवपुरी ने प्रतिवादीगण के कब्जे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को खाली कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण ने मिट्टी डालकर खेती योग्य बनाया है। वादी शासकीय कर्मचारी है और ग्राम सरेखा में निवास करता है। विगत 20-25 वर्षों से प्रतिवादीगण का ही वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य है और वे ही उस पर कृषि कार्य कर रहे हैं। प्रतिवादी शिवचंद प्र.सा.01 ने अपने कथनों के समर्थन में कि उसका वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य है प्र.डी.01 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है, यह दस्तावेज कार्यालय ग्राम पंचायत ग्राम ठेमा के सरपंच द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है। मूलतः प्र.डी.01 के अवलोकन से यह जाति संबंधी जाति प्रमाण पत्र है परन्तु इस प्रमाण पत्र में हस्तलिपि से यह लेख किया गया है कि शिवचंद वल्द जीवनलाल 20-21 वर्षों से जमीन कमाते चले आ रहा है और उसके नीचे 223/2 ढाई एकड़ भी लेख किया गया है। इसी आशय का प्रमाण पत्र जो दिनांक 28.09.2009 को सरपंच ग्राम पंचायत ठेमा द्वारा जारी किया गया है यह दस्तावेज प्र.डी.02 अभिलेख पर प्रतिवादी शिवचंद ने प्रस्तुत किया है।

Filling no,234503005552014

प्रतिवादी शिवचंद ने ग्राम पटेल द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र कि लगभग 20-21 वर्षों से भूमि का लगान प्रतिवादी शिवचंद द्वारा जमा किया जाता है, के संबंध में प्र.डी.03 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्र.डी.03 दस्तावेज में दिनांक उल्लेखित नहीं है। इसके अतिरिक्त पंचनामा प्र.डी.04 भी प्रतिवादी शिवचंद प्र.सा. 01 द्वारा अभिलेख पर अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि 05 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर कर यह प्रमाणित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी शिवचंद पिता जीवनलाल का कब्जा है और वह 20-21 वर्षों से कृषि कार्य कर रहा है।

12. प्र.डी.01, प्र.डी.02 एवं प्र.डी.03 दस्तावेज के विषय में वादी की ओर से यह आपत्ति ली गई थी कि यह दस्तावेज सरपंच ग्राम ठेमा द्वारा जारी किया गया है इसलिये इसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता एवं इस जारीकर्ता सरपंच द्वारा ही प्रदर्श किया जा सकता है। दस्तावेजों को अभिलेख पर प्रदर्श कराये जाने पर भी वे दस्तावेज प्रमाणित नहीं माने जा सकते क्योंकि दस्तावेजों की अन्तरवस्तु प्रमाणित होना भी आवश्यक है। न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित होने से इन दस्तावेजों को प्रदर्श किये जाने की अनुमति दी गई थी परन्तु मात्र इनके प्रदर्श हो जाने से इन्हें साबित होना नहीं माना जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायदृष्टांत **सेठ तारा जी खेमचंद व अन्य बनाम येल्ला मर्ती सत्यम व अन्य(ए.आर.आर.1971 एस.सी.1865)** में यह अवधारित किया है कि "Mere marking of a document as an exhibit does not dispense with the proof of document". इस प्रकरण में जिस सरपंच अथवा दस्तावेज के निष्पादनकर्ता से यह दस्तावेज प्राप्त किया गया था उसका न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं कराया गया है, जबकि स्वयं सरपंच जिसके द्वारा प्र.डी.01 एवं प्र.डी.02 का दस्तावेज जारी किया गया था वह न्यायालय के समक्ष इसकी अन्तरवस्तु को उचित रूप से प्रमाणित करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में प्र.डी.01 एवं प्र.डी.02 एवं प्र.डी.03 की अन्तरवस्तु की प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा है प्रमाणित होना नहीं माना जावेगा, क्योंकि इस प्रकार का प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति का ही न्यायालय के समक्ष आकर इस आशय की साक्ष्य देना अपेक्षित है कि वह किस व्यक्ति के कब्जे का प्रमाण पत्र जारी कर रहा है।

13. प्रतिवादी साक्षी शिवचंद प्र.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र मांगे तो उसे प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में उसे

Filling no,234503005552014

प्रमाण पत्र देने से पहले सरपंच द्वारा गांव में कोई इश्तेहार प्रकाशन नहीं किया गया था और इस संबंध में वादी को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अन्यथा भी साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.डी.01 का प्रमाण पत्र किस दिनांक को जारी किया गया है इस बात का उल्लेख नहीं है। दिनांक का प्र.डी.01 दस्तावेज पर दिनांक का उल्लेख न होना प्र.डी.01 दस्तावेज के महत्व को शून्य कर देता है। प्रतिवादी शिवचंद प्र.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने तहसीलदार के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि का नामांतरण वादी के नाम पर किये जाने के संबंध में उसने कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रतिवादी शिवचंद प्र.सा.01 के कथनों का समर्थन कपूरचंद प्र.सा.02 ने किया है और कहा है कि वादी ओमकारपुरी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं था और न ही उसने कभी वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करवाया है। प्रतिवादी शिवचंद प्र.सा.01 द्वारा वादग्रस्त भूमि को क़य करने के पश्चात से ही कृषि भूमि पर उसके द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है, कहा गया है। प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी साक्षी कपूरचंद प्र.सा.02 ने स्वीकार किया है कि राजस्व अभिलेख में भैरवपुरी की मृत्यु के पश्चात वादी ओमकारपुरी का नाम दर्ज किया गया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के कितने रकबे पर खेती करते थे यह बात वह नहीं बता सकता। प्रतिवादी साक्षी बोधीलाल प्र.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि भैरवपुरी अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि पर खेती करता था। साक्षी ने यह भी कहा है कि प्रतिवादीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि के विषय में कोई लिखा-पढ़ी हुई थी इस बाबद् उसने कोई कागज नहीं देखा है। प्रतिवादी साक्षी बोधीलाल प्र.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 07 में यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है कि भैरवपुरी की मृत्यु के बाद वादी ओमकारपुरी खेती कर रहा है, यद्यपि साक्षी का यह कहना है कि वह बलपूर्वक खेती कर रहा है परन्तु इस बात से यह धारणा की जा सकती है कि वर्तमान में वादी ओमकारपुरी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। वादी ओमकारपुरी का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर कब्जेदार इंद्राज है और मूलतः कब्जे की धारणा किये जाने के लिये राजस्व अभिलेख में इंद्राज प्राथमिक दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है इसलिये उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर वादी ओमकारपुरी का ही वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होना माना जावेगा। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष :-

14. वादी ओमकारपुरी वा.सा.01 का यह कहना है कि दिनांक 17.10.2008

Filling no,234503005552014

को वह अपनी धान की फसल देखने गया था, तब प्रतिवादीगण उसकी फसल काट रहे थे जिसकी रिपोर्ट उसने परसवाड़ा थाने में की थी और नायब तहसीलदार परसवाड़ा को भी इस संबंध में शिकायत की थी। तहसीलदार द्वारा प्रतिवादीगण को धान की फसल काटकर ले जाने के लिये मना किया गया था। प्रतिवादीगण बलपूर्वक वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि वह दूसरे गांव में रहता है। वादी ओमकारपुरी वा.सा.01 के कथनों का समर्थन वादी साक्षी चैतराम वा.सा.02 ने किया है और कहा है कि वादी ओमकारपुरी जब तक खेत पर होता है तब तक प्रतिवादीगण विवाद नहीं करते हैं और वादी ओमकारपुरी के घर जाने के पश्चात प्रतिवादीगण धान को काटने का प्रयास करते हैं। प्रतिवादी साक्षी शिवचंद प्र.सा.01 का यह कहना है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य नहीं है बल्कि वर्ष 1991 से प्रतिवादीगण का ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है। प्रतिवादी साक्षी कपूरचंद प्र.सा.02 तथा प्रतिवादी साक्षी बोधीलाल प्र.सा.03 ने भी वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे में होने का कथन अपने शपथ पत्र में किया है। वादप्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष में न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित पाया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वैध आधिपत्य वादी का है न कि प्रतिवादीगण का है। वादी ओमकारपुरी वा.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि विगत दो-तीन वर्षों की फसल वह काट कर ले गया था। प्रतिवादीगण वर्ष 2009-10 की फसल काट कर ले गये थे, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना परसवाड़ा में की थी, परन्तु वह दस्तावेज उसने वाद में प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में वादी ओमकारपुरी वा.सा.01 ने पुनः यह कहा है कि प्रतिवादीगण उसकी भूमि पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। वादी साक्षी चैतराम वा.सा.02 ने यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि पर 13 बंधी है और रकबा ढाई एकड़ है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि प्रतिवादीगण ने उसे न्यायालय में आने पर धमकी दी थी। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कई वर्षों से खेती किये जाने का कथन करने से एवं वादग्रस्त भूमि उनके द्वारा कय किये जाने का कथन किये जाने से यह बात परोक्ष रूप से प्रकट हो रही है कि वे वादग्रस्त भूमि पर विधि-विरुद्ध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

सहायता एवं खर्च:-

15. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः वादी का दावा वादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम ठेमा, प.ह.न. 08 रा.नि.मं. परसवाड़ा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 223/2 रकबा 2.50 एकड़ भूमि के विषय में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न

Case No.124 /2016

Filling no,234503005552014

किये जाने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत, जयपत्रित किया जाता है एवं निम्न आज्ञाप्ति पारित की जाती है:-

1.प्रतिवादीगण स्वयं या अन्य किसी माध्यम से भविष्य में वादी के उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के आधिपत्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

2.यह आज्ञाप्ति तभी निष्पादनीय होगी जब वादी विधि अनुसार शेष न्याय शुल्क चरसा करेगा।

3.प्रतिवादीगण अपना तथा वादी का वाद व्यय वहन करेंगे।

4.अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही/-

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर

सही/-

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)